मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : डीजी–सात–29–2012(2) दिनांक : फरवरी , 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 6424/XX–3–2014–01(54)2006, दिनांकः 03.01.2014 के क्रम में **आरक्षी पुलिस (पुरूष) के 129, आरक्षी पीएसी (पुरूष) के 196 एवं फायरमैन के 25 पदों** पर **(वेतनमान ` 5200–20200, ग्रेड वेतन ` 2000)** सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जाना है। अन्तिम मैरिट सूचिंया निर्गत होने तक इन पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है तथा आवश्यकतानुसार किसी भी संवर्ग की रिक्तियों को किसी अन्य संवर्ग यथा पुलिस, पीएसी, फायरमैन इत्यादि में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

2– अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जनपद	आवेदन पत्र जमा किये जाने का स्थान	क्र0सं0	जनपद	आवेदन पत्र जमा किये जाने का स्थान
1	उत्तरकाशी	पुलिस अधीक्षक कार्यालय उत्तरकाशी	7	हरिद्वार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरिद्वार
2	टिहरी गढ़वाल	पुलिस अधीक्षक कार्यालय टिहरी गढ़वाल	8	अल्मोड़ा	पुलिस अधीक्षक कार्यालय अल्मोड़ा
3	चमोली	पुलिस अधीक्षककार्यालय चमोली	9	बागेश्वर	पुलिस अधीक्षक कार्यालय बागेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	पुलिस अधीक्षक कार्यालय रूद्रप्रयाग	10	चम्पावत	पुलिस अधीक्षक कार्यालय चम्पावत
5	पौड़ी गढ़वाल	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	11	पिथौरागढ़	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पिथौरागढ़
6	देहरादून	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय देहरादून	12	नैनीताल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय नैनीताल
			13	ऊधमसिंहनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊधमसिंहनगर

3– **<u>अर्हतायें</u>:– चयन हेतु निम्नांकित अर्हतायें निर्धारित हैः–**

(1) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी/मूल निवासी हो।

(2) अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में दिनांकः 15.06.2013 से पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिकों का

पंजीकरण उत्तराखण्ड के सम्बन्धित जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में होना आवश्यक है।

4— **शैक्षिक योग्यताः—**

(क) अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा मान्य इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5— **आयु सीमाः—**

(क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये **दिनांक 0*1—01—2014*** को आयु न्यूनतम **18** वर्ष तथा अधिकतम **22** वर्ष होगी अर्थात दिनांक **01—01—1992** से पूर्व एवं दिनांक **01—01—1996** के बाद जन्मे व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

(ख) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में **05** वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में **05** वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिये उनके द्वारा सेना में की गयी कुल सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर प्राप्त अवधि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से **03** वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

(ड) सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रितों को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में **05** वर्ष की छूट इस आधार पर प्रदान की जायेगी कि उसके द्वारा अन्यथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त न की गयी हो ।

(च) होमगार्ड जिन्होने दिनांक **1—01—2014** को **03** वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में **05** वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

6— **शारीरिक अर्हतायेंः—**

(क) ऊँचाई

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	—	**165 से0मी0**
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियो के लिए न्यूनतम	—	**160 से0मी0**
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	—	**157.5 से0मी0**

(ख) सीने की माप

	बिना फुलाये	फुलाने पर
पुलिस /पीएसी हेतु सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	**78.8 से0मी0**	**83.8 से0मी0**
पुलिस/पीएसी हेतु पर्वतीय क्षेत्र/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	**76.3 से0मी0**	**81.3 से0मी0**
फायरमैन के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	**32 इंच**	**34 इंच**

नोट : **(1)**सीने में कम से कम **05** से0मी0 का फुलाव होना आवश्यक है।

(2)शासनादेश संख्याः 256/18–प्रा0शि0–2–88–20(एस0बी0)/82, दिनांक 16–1–1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :–

''देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र

नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र

पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।''

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

7– <u>विकल्पः–</u> पुलिस, पीएसी व फायरमैन के लिये भर्ती संयुक्त रूप से की जा रही है। इसके लिये अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर बने बॉक्स में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता अंकित करनी होगी। उदाहरण के लिये यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम विकल्प पुलिस, द्वितीय पीएसी एवं तृतीय फायरमैन रखना चाहता हो तो पुलिस के सम्मुख अंकित बॉक्स में प्रथम, पीएसी के सम्मुख अंकित बॉक्स में द्वितीय एवं फायरमैन के सम्मुख अंकित बॉक्स में तृतीय निम्नवत् अंकित करना होगा :–

(मात्र उदाहरण हेतु)

पुलिस	प्रथम
पीएसी	द्वितीय
फायरमैन	तृतीय

अभ्यर्थियों का उपरोक्त में से किसी एक शाखा में चयन उसके विकल्प के आधार पर मैरिट लिस्ट में उसके स्थान तथा शाखाओं में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा।

08– <u>चयन प्रक्रियाः–</u>

(क) शारीरिक नाप जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षाः–

आवेदन प्रपत्रों की जॉच के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक नाप जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद (अभ्यर्थियों द्वारा जिस जनपद में आवेदन पत्र जमा किया गया है) के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार एवं समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। उपरोक्त **प्रस्तर–6** में वर्णित शारीरिक अर्हताओं में असफल अभ्यर्थियों को शारीरिक नाप जोख के समय अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित शारीरिक अर्हतायें होने पर ही आवेदन करें।

(ख) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षाः–</u>

शारीरिक नाप जोख में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को ही निम्न विवरण के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा (पूर्णांक 50 अंक) में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा किसी भी आइटम में 15 अंक से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगाः–

आरक्षी पुरूष हेतु	
1–दौड़ (05 कि0मी) पूर्णांक 25 अंक	20 मिनट तक – 25 अंक
	20 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक – 15 अंक
	25 मिनट से अधिक – अनुत्तीर्ण
2–क्रिकेट बॉल थ्रो पूर्णांक 25 अंक	70 मीटर व इससे अधिक– 25 अंक
	55–69 मीटर तक – 15 अंक
	55 मीटर से कम – अनुत्तीर्ण

(ग) <u>लिखित परीक्षाः–</u>

(1) शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तर्कशक्ति आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(2) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(3) उक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक प्रश्न–पत्र होगा। प्रश्न–पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(5) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट **uttarakhandpolice.uk.gov.in** पर प्रकाशित की जायेगी।

(6) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट **uttarakhandpolice.uk.gov.in** पर प्रकाशित किया जायेगा।

09–<u>अन्तिम मैरिट सूचीः–</u>

अभ्यर्थियों की नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्बन्धित जनपद (जिस जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया गया है) में होगी। लिखित परीक्षा के

सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद (जिस जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया गया है) के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष संवर्गवार सभी जनपदों की **एकीकृत अन्तिम मैरिट सूचियां** राज्य स्तर पर तैयार की जायेंगी। अन्तिम मैरिट सूचियां निर्गत होने तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यदि चयन प्रक्रिया में आरक्षण सम्बन्धी अथवा अन्य किसी नीतिगत विषय सम्बन्धी कोई आदेश/निर्णय दिया जाता है तो यह विज्ञप्ति उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी किन्तु इसका प्रभाव इस चयन प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा।

10–आरक्षणः–

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को वर्टिकल एवं होरीजोण्टल आरक्षण प्रदान किया जायेगा इस सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्टिकल आरक्षण	प्रतिशत	होरीजोण्टल आरक्षण	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	19	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02
अनुसूचित जनजाति	04	भूतपूर्व सैनिक	05
अन्य पिछड़ा वर्ग	14	होमगार्ड	05
		दिनांकः 15.06.2013 के पश्चात प्रदेश में आयी भीषण आपदा में उत्तराखण्ड राज्य के मृत एवं लापता व्यक्तियों जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो, के परिवार के 01 सदस्य (पति–पत्नी, वयस्क पुत्र, पुत्रवधु एवं अविवाहित पुत्रियां)	**14**
		उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिवस से कम अवधि के लिये जेल गये उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी	10

*नोटः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैजित आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष **Writ Petition (PIL)** संख्याः 67 **of** 2011 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिनांकः 26.08.2013 को दिये गये है किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकः 26.08.2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्तियां दी जायेंगी।*

शासनादेश संख्याः 5019/XX–3–2013–01(54)2006, दिनांकः 27.01.2014 के अनुसार दिनांकः 15.06.2013 के पश्चात् प्रदेश में आयी भीषण आपदा में उत्तराखण्ड राज्य के मृत एवं लापता व्यक्तियों, जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो, के परिवार के 01 सदस्य को अन्यथा उपयुक्त पाये जाने पर चयन किया जायेगा। ऐसे क्षैतिज आरक्षण की अधिकतम सीमा 14

प्रतिशत होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक एवं लिखित परीक्षा में निर्धारित/निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। आपदा में मृत एवं लापता व्यक्तियों के परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत पति–पत्नी, वयस्क पुत्र, पुत्रवधु एवं अविवाहित पुत्रियां सम्मिलित होंगें। यह व्यवस्था एक बार अपवाद के आधार पर ही अनुमन्य होगी तथा इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जायेगा।

उक्त क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था में यह भी प्रतिबन्ध होगा कि ऐसे ही उपरोक्त परिवार के सदस्य को यह छूट प्राप्त होगी जिसका कोई सदस्य राजकीय नियमित सेवा में नहीं है अथवा/और जिस परिवार की समस्त श्रोतों से कुल वार्षिक आय ` 4.50 लाख ( ` चार लाख पचास हजार मात्र) से कम है। इस हेतु आवेदक को क्रमशः शपथपत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11– स्वास्थ्य परीक्षणः–

अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए। दृष्टि एक ऑख में 6/6 और दूसरी ऑख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात बिना चश्में के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये दाहिनी ऑख के लिये 6/6 और बॉये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायी ऑख के लिये 6/6 होनी चाहिए। वर्ण–अन्धता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियॉ या समस्यायें जो आरक्षी/फायरमैन की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्यता माना जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्तानुसार योग्य होने पर ही आवेदन करें।

12– चरित्र सत्यापनः–

चरित्र सत्यापन में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को ही सेवा हेतु उपयुक्त माना जायेगा।

13– वेतनः–

चयनित अभ्यर्थियों को गहन प्रशिक्षण अवधि में Stipend (`3726/00) देय होगा।

14– प्रशिक्षणः–

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्रों पर निर्धारित मूलभूत प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् वे उत्तराखण्ड राज्य के जनपद/वाहिनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे, तथा कम से कम 02 वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

15– बन्ध पत्रः–

चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में इस आशय का शपथ पत्र/बन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे भर्ती के दिनांक से निरन्तर 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। 05 वर्ष के भीतर त्याग पत्र प्रस्तुत करने अथवा सेवा छोड़ने की दशा में गहन प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किये गये Stipend तथा प्रशिक्षण पर हुये व्यय की धनराशि उनके द्वारा कोषागार में जमा करनी होगी।

16– इस विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित आवेदन प्रपत्र के प्रारूप को मोटे फुल स्केप कागज पर टंकित कराकर आवेदन पत्र तैयार किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह विज्ञप्ति उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट **uttarakhandpolice.gov.uk.in** पर भी उपलब्ध है।

17– <u>आवेदन पत्र जमा करने के सम्बन्ध में</u> :–

1– अभ्यर्थी को एक ही भर्ती केन्द्र पर आवेदन पत्र जमा करना होगा। एक से अधिक भर्ती केन्द्र पर आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

2– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

18– <u>परीक्षा शुल्क</u> :–

सामान्य जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये ` 60/– तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदकों के लिये ` 15/– का परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक ''**0055–पुलिस प्राप्तियॉ–103 फीसें जुर्माने और जब्तियॉ–03 अन्य फीस जुर्माना इत्यादि**'' के अधीन राजकीय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

19– <u>आवेदन के साथ निम्न संलग्नक होने अनिवार्य हैं</u> :–

(1) हाईस्कूल अंक तालिका की प्रमाणित छाया प्रति। यदि हाईस्कूल अंक तालिका में आयु का उल्लेख न हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति भी।

(2) इण्टरमीडियेट परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिये इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

(4) अन्तिम शिक्षण संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(5) सेवायोजन कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(6) यदि आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत हो तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।

(7) यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा फायरमैन पद के लिये आवेदन करने की दशा में सिविल सर्जन का कठोर परिश्रम के लिये उपयुक्त सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(8) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिवस से कम अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

(9)यदि होमगार्ड हो तो जिला कमाण्डेट होमगार्ड्स द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(10) यदि स्वतंत्रता सग्रांम सेनानी के आश्रित हों तो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

(11)यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हों और यदि उपरोक्तानुसार <u>**प्रस्तर–6**</u> में वर्णित शारीरिक अर्हता सम्बन्धी छूट चाहते हो तो जनपद पौडी, नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये शासनादेश संख्याः 256/18–प्रा0शि0–2–88–20(एस0बी0)/82, दिनांक 16–1–1982 में निहित प्रारूपानुसार पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।

(12) दिनांकः 15.06.2013 के पश्चात् प्रदेश में आयी भीषण आपदा में उत्तराखण्ड राज्य के मृत एवं लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्य को, जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो, द्वारा शपथपत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र।

(13)अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में हो तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(14)परीक्षा शुल्क हेतु जमा धनराशि के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।

(15)उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रमाणित छायाप्रति शासनादेश संख्याः 2588/1–4/सा0प्र0/2001, दिनांकः 20 नवम्बर 2001 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार।

(16)11 x 4 इंच के दो लिफाफे जिन पर पॉच–पॉच रूपया का डाक टिकट चस्पा हों, तथा आवेदक का अपना नाम व पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित हों।

(17) 02 नवीनतम एवं समरूप पासपोर्ट साईज (3.5 x 4.5 सेमी) की स्वप्रमाणित रंगीन फोटो।

20– <u>आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथिः</u>–

पूर्णरूप से भरे हुए तथा समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय (भर्ती केन्द्र) में **दिनांकः 01.03.2014** की सायं 5:00 बजे तक जमा हो जाने चाहिए/पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र भर्ती केन्द्र के निर्धारित कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किये जा सकते है। **प्रस्तर 2** में उल्लिखित भर्ती केन्द्रों के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी अन्यत्र अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। दिनांकः 01.03.2014 की सांय 5:00 बजे के पश्चात् सीधे अथवा डाक से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

21– निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहन जॉच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उन्हें शारीरिक नाप–जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।

22– नाप–जोख/शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसकी सूचना यथासमय सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी अथवा दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी।

23– <u>अन्य निर्देशः</u>–

(1) अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार भर्ती बोर्ड को होगा। अभ्यर्थी अपराधिक मामले में वांछित/सजायाफ्ता न हो तथा उसके विरूद्व कोई अभियोग पंजीकृत/विचाराधीन न हो।

(3) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन पहले से सेवारत हों, अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले एवं अन्यथा अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार/दावा मान्य नहीं होगा।

(5) पुरूष अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए।

(6) अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करना चाहिए, जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार अर्ह है।

(दीपम सेठ)
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड पुलिस /पीएसी में आरक्षी (पुरूष) एवं फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुक्रमांक.......................................   भर्ती केन्द्र का नाम...
(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज (3.5 x 4.5 सेमी) रंगीन फोटो (स्वप्रमाणित) यहॉ पर चस्पा करें ।

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम
(क) हिन्दी में ....
(ख) अंग्रेजी में..

2. पिता का नाम..

3. स्थायी पता...
....
....

4.पत्र व्यवहार का पता..
....
....

फोन नम्बर..

5. जन्मतिथिः–

(क) अंकों में...

(ख) शब्दों में..

(ग) दिनांकः 01.01.2014 को आयु ....वर्ष ....माह ....दिन।

6. (क) नागरिकता.................(ख) धर्म.................(ग) जाति....................

(घ) उपजाति.......................

7. आरक्षण की श्रेणी, जिसका लाभ चाहते हैः– (सही ✓ का निशान लगायें

वर्टिकल			होरिजोन्टल		
1	अनुसूचित जाति		1	स्व0सं0से0 के आश्रित	
2	अनुसूचित जनजाति		2	होमगार्ड	
3	अन्य पिछड़ा वर्ग		3	भूतपूर्व सैनिक	
			4	दिनांकः 15.06.2013 के पश्चात प्रदेश में आयी आपदा में उत्तराखण्ड राज्य के मृत एवं लापता व्यक्तियों के सदस्य	
			5	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिवस से कम अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारी	

8.इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष परीक्षा सम्बन्धी विवरण :–

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विवि0 का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	संस्था का नाम

9. सेवायोजन कार्यालय का नाम/पंजीयन संख्या/दिनांक...

....

(प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. शारीरिक मापः–(विज्ञप्ति का प्रस्तर–6 देखे)

(1) ऊँचाई...से0मी0

(2) सीने की माप (क) बिना फुलाये............................ से0मी0/इंच

(ख) फुलाने पर............................... से0मी0/इंच

11. पुलिस, पीएसी व फायरमैन के लिए विकल्प

(विज्ञप्ति का प्रस्तर –7 देखें)

पुलिस	
पीएसी	
फायरमैन	

12. संलग्नकः–

(आवेदन पत्र भेजते समय आवेदक निम्न अभिलेखों को अवश्य संलग्न करेंगे)

1. हाईस्कूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। यदि हाईस्कूल अंक तालिका में आयु का उल्लेख न हो तो आयु सम्बन्धी अन्य सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति भी।
2. इण्टरमीडियेट परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रमाणित छयाप्रति।
3. भूतपूर्व सैनिकों के लिये सेना का इण्टरमीडियेट के समकक्ष सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिवस से कम अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति
5. ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।
6. उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति (शासनादेश संख्या 2588/1–4/सा0प्र0/2001, दिनांक 20 नवम्बर 2001 में निहित प्रारूपानुसार)।

7. अन्तिम शिक्षण संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
8. सेवायोजन कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
9. जाति का प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी के हों तो) की प्रमाणित छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो।
10. यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
11. यदि होमगार्ड हो तो जिला कमाडेंट, होमगार्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
12. यदि स्वतंत्रता सग्रांम सेनानी के आश्रित हों तो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
13. दिनांकः 15.06.2013 के पश्चात् प्रदेश में आयी भीषण आपदा में उत्तराखण्ड राज्य के मृत एवं लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्य जिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो, द्वारा शपथपत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र।
14. जनपद पौडी गढ़वाल, नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए शासनादेश संख्याः 256/18–प्रा0शि0–2–88–20(एस0बी0)/82, दिनांक 16–7– 1982 में विहित प्रारूपानुसार पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
15. परीक्षा शुल्कः– **ट्रेजरी चालान संख्या................................दिनांक..............................**

    धनराशि.................................बैंक का नाम..
16. अभ्यर्थी यदि सरकारी सेवा में हो तो विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

स्थान.. **आवेदक के हस्ताक्षर..................................**

दिनांक.. **नाम..**

<u>प्रमाण पत्र</u>

मै..पुत्र/श्री..एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित की गयी सभी सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मैंने भर्ती केन्द्र/जनपद.............................
...........................के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद/ भर्ती केन्द्र पर आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। यदि आवेदन पत्र में अंकित तथ्य गलत/असत्य पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध जो भी वैधानिक अथवा अन्य कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी।

मैं यह भी शपथपूर्वक प्रमाणित करता हूॅ कि मेरे विरूद्ध कोई अपराधिक मामला भारत वर्ष में कहीं भी पंजीकृत नहीं हुआ है और मैं ऐसे किसी अपराधिक मामले में वांछित/सजायाफ्ता नहीं हूॅ तथा मेरे विरूद्ध कोई अभियोग विवेचनाधीन या विचाराधीन नहीं है।

स्थान.. **आवेदक के हस्ताक्षर..................................**

दिनांक.. **नाम..**